आउटकम बजट (Outcome Budget) 2018–19

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0–01,02 ,15

विभाग का नाम–सहकारिता विभाग

(धनराषि लाख रू0 में)

क0 सं0	योजना/मद का नाम	योजना के उद्देष्य	आउट ले/बजट		एस0डी0जी0 Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2018–19	1–4–2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम		समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				राजस्व	पूँजीगत	
1	निदेषन तथा प्रषासन–03	अधिष्ठान व्यवस्था	3068.87	–		विभाग में स्वीकृत 702 पदों के सापेक्ष कार्यरत 412 विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान व कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना	412 पद	विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के सफल संचालन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के कार्यकलापों से राज्य की जनता/कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।		वार्षिक
2	निदेषन तथा प्रषासन–05	अधिष्ठान व्यवस्था	149.66	–		सहकारी न्यायाधिकरंण में न्यायाधीष, सदस्यों तथा न्यायाधिकरंण के अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि एवं अन्य सभी अनुमन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों का भुगतान करना	09 पद	सहकारी न्यायाधिकरंण उत्तराखण्ड सहकारी अधिनियम 2003 के अनुसार गठित सहकारिता विभाग के आदेषों एवं निर्णयों के क्रम में प्राप्त अपीलों की सुनवाई से अपीलार्थियों को सुलभ न्याय प्राप्त होगा।		वार्षिक
3	निदेषन तथा प्रषासन–06	अधिष्ठान व्यवस्था	80.05	–		सहकारी निर्वाचन प्राधिकरंण में ष्षासन द्वारा नामित सदस्यों एवं कार्यालय कर्मचारियेां के वेतन/ कार्यालय सम्बन्धी समस्त अनुमन्य व्ययों का भुगतान करना है।	04 पद	भारत का संविधान 97वें संषोधन के अनुसार गठित निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा राज्य में निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं के नियमित निर्वाचन के फलस्वरूप सस्थाओं में प्रजातान्त्रिक प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन किया जायेगा।		
राज्य योजनाः–										

1	सहकारी प्रषिक्षण केन्द्र के संचालन हेतु अनुदान	विभागीय कर्मचारियों को प्रषिक्षित करना	6.00		–	वित्तीय वर्ष 2018–19 में 50 प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 1500 प्रषिक्षार्थियों को प्रषिक्षण दिया जायेगा	500 प्रषिक्षार्थियो को प्रषिक्षित किया गया	प्रषिक्षित विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय कार्यो एवं नीतियों के परिपालन में तत्परता एवं पारदर्षिता आयेगी। संस्थाओं के नियमित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण से संस्थाओं की कार्यकुषलता में वृद्वि होगी जिसका स्पष्ट लाभ जनता को मिलेगा।	वार्षिक
2	पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक पर राज सहायता	उर्वरक आपूर्ति हेतु परिवहन अनुदान	125.00		2	प्रदेष के कृषकों को कम दर पर 190000 मै0टन उर्वरक पर परिवहन अनुदान उपलब्ध कराया जाना है।	136703 मै0टन उर्वरक आबटित किया	उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान दर पर उर्वरक विक्रय हेतु समिति बिक्री केन्द्रो तक उर्वरक आपूर्ति के परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति के पश्चात प्रदेष के लगभग 210000 कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।	वार्षिक
3	मिनी बैंक निक्षेप गारन्टी योजना(कारपस फण्ड)	मिनी बैंकों/ ग्रामीण बचत केन्द्रों को हानि की प्रतिपूर्ति करना	40.00		–	प्रदेष के ग्रामीण बचत केन्द्रों में 111502 लाख रू0 की कुल जमाओं की गारण्टी हेतु 40 लाख रू0 दिया जाना प्रस्तावित हैं।	913 मिनी बैंक हेतु	ष्षासनादेष के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा निक्षेपों की गारण्टी हेतु फ्रण्ड उपलब्ध कराने से केन्द्रों में बचत जमा करने हेतु जनता की धनराषि की सुरक्षा रहेगी।	वार्षिक
4	सहकारिता सहभागिता योजना	लघु एवं सीमान्त कृशकों को कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराना	2273.00		1 एवं 15	वर्ष 2005–06 से 2016–17 तक निरन्तर सहकारिता सहभागिता योजनान्तर्गत प्रदेष के लगभग 185000 कृषकों को कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया ।	73058.00 लाख ऋण आबंटन किया	उत्तराखण्ड राज्य में सस्ता कृषि ऋण उपलब्ध होने से कृषि उत्पादन लागत में कमी आयेगी जिसके फलस्वरूप कृषकों को फसल विक्रय पर अधिक लाभ प्राप्त होगा।	वार्षिक
5	राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु	परिषद का मुख्य उद्देष्य सहकारिता की समीक्षा करना एवं सहकारी समितियों की किया कलापों में समन्वय	25.00		–	सहकारी विकास की नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहकारी मेले/ सहकारी गोष्ठियां एवं प्रकाषन आदि से सहकारिता का प्रचार प्रसार किया जायेगा, जिससे कृषकों एवं समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को मेलों एवं प्रदर्षनी के माध्यम से स्थानीय उपजों का बाजार उपलब्ध कराया जायेगा।	–	उत्तराखण्ड सहकारिता अधिनियम 2003 के अन्तर्गत गठित परिषद द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सहकारिता द्वारा रोजगार परक पहल में स्थानीय स्तर पर सहकारी मेले एवं सहकारी प्रदर्षनियां आयोजित करने से स्थानीय उपज की बिक्री हेतु सामूहिक बाजार उपलब्ध कराने पर क्षेत्रवासियों को परिवहन पर बचत एवं अपनी उपज का उचित	वार्षिक

		स्थापित करना						मूल्य प्राप्त होगा।	
6	उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्यांण निगम के संचालन हेतु	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवष्यक वस्तुएं बाजार दर से सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना	20.00		–	राज्य कर्मचारियों को दैनिक उपयोग की आवष्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रदेष 13 जनपदों में निगमकीष्षाखायें संचालित की जानी है। जिनके आधारभूत ढाँचे के विकास पर प्रस्तावित बजट रू0 20.00 लाख व्यय किया जायेगा।	–	प्रत्येक जनपद में कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना होने पर राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुए उपलब्ध होने से उनके उपभोग खर्च में कमी आयेगी जिससे जीवन सुधार में प्रगति होगी।	वार्षिक
7	सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु राज सहायता	संस्थागत सेवामण्डल के कार्यों का सफल संचालन	1500		–	राज्य में कार्यरत 10 जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैक के स्टाफ की नियुक्ति, पदोन्नति व अन्य अधिश्ठान सम्बन्धी कार्यों के संचालन हेतु कर्मचारियों के वेतन भत्तों व अन्य कार्यालय सम्बन्धी व्ययों के भुगतान हेतु रू0 15.00 लाख व्यय किया जायेगा।	–	संस्थागत सेवामण्डल का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित होने पर जिला सहकारी बैक कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों का समय से निस्तारण किया जायेगा। जिससे जिला सहकारी बैंकों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा।	स्थायी
8	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास करना ही एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का उद्देष्य है।	138.07	468.20		एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से विभिन्न सहकारी समितियों के आधारभूत ढाँचे का विकास किया जायेगा, जिन पर परियोजनानुसार निर्धारित 606.27 लाख रू0 व्यय किया जायेगा। व्यय की गयी धनराषि में से ऋण तथा अंषपूँजी की वसूली ब्याज सहित की जानी है।	–	प्रदेष में आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी संस्थाओं के आर्थिक ढाँचे के विकास होने पर सहकारी संस्थाओं में भवन,फर्नीचर आदि की समुचित व्यवस्था होने पर संस्थाओं का विकास होगा साथ ही लाभकारी निर्माणों एवं अन्य रोजगार परक योजनाओं से संस्था को लाभ होगा।	वार्षिक

9	वैद्यनाथन कमेटी	वैद्यनाथन कमेटी क संस्तुतियां लागू करने हेतु टोकन मनी	0.01	–	ग्रामीण सहकारी संस्थाओं के पुंर्नउद्वार के लिए भारत सरकार द्वारा वैद्यनाथन कमेटी का गठन किया गया है।	–		उक्त कमेटी की संस्तुतियां उत्तराखण्ड में लागू करने के सम्बन्ध में ष्षासन एवं भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।	टोकन
9	बाढ/अतिवृष्टि के कारण ब्याज पर राज सहायता	राज्य में वर्ष 2013–14 में विनाषकारी बाढ/अतिवृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति	0.01	–	बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी	0		बाढ/अतिवृष्टि से प्रभावित कृशकों के ऋण खातों में देय ब्याज समायोजन करने हेतु इस मद में टोकन मनी के रूप में रू0 0.01 लाख की धनराषि प्रस्तावित है।	टोकन स्वरूप
	नई मांगः–								
9	24– दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना	उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किसानों की आय को दोगुना करने के लिए	3000.00			कृषकों को आर्थिक सुविधा प्रदान करते हुए उनकी कृषि उत्पादन आय को दोगुनी कर लक्ष्य को प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से ''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2017 से दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना प्रारम्भ की गयी	–	''दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना'' के अन्तर्गत प्रदेष के किसानों को रू0 1.00 लाख तक का अल्पकालीन /मध्यकालीन ऋण 02 प्रतिषत ब्याज पर उपलब्ध कराये जाने से किसानों की आय में बढोतरी होगी।	वार्षिक
समस्त योजनाओं का योग–			**8940.67**	**468.20**					